


24/08/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वारीगण  
 उपस्थित। प्रतिवादी शेरणा 04 की  
 तरफ से अधिवक्ता श्री मादनलाल पुनड  
 ने वकालतनामा पेश किया जो गा.नि.सं.  
 शेष. प्रतिवादीगण की पार्श्व शक्ति नरे लिव  
 की उतियां पेश की गईं। कोई शक्ति नहीं।  
 इंटरपार ही। मुख्य वास्ते जवाब व  
 तलबी तारीख 27/09/2023 को पेश की।

  
 सहायक जलसुधर  
 (S.D.O.) बाजनेर

27/09/23

वकुलाय फरीकेन उपस्थित।  
 पीठासीन अधिकारी बाहर पधारे हुए है।  
 पत्रावली इत्यादि होकर आयन्दा दिनांक...06/10/23  
 को पेश हो।



06/10/23

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप.।  
 वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र  
 पेश कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के  
 मह्य गाँव के मौजिज लोगों द्वारा  
 राजीनामा करवाने से विवादित भूमि  
 को लेकर कोई विवाद नहीं रहा है,  
 इसलिए वादीगण इस वाद कोजरिए  
 राजीनामा विडो करने का निवेदन किया  
 है। वादी यह वाद चलाना नहीं चाहते  
 हैं।


चूंकि वाद चलाना वादी की जिम्मेदारी  
 है। वादी यह वाद चलाना नहीं चाहते  
 हैं लिहाजा वादी का वाद जरिए  
 विडो / खारिज किया जाना है।

ख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

पत्रावली फ़ैसल नुमार होकर  
दाखिल दफ्तर हो, नम्बर से कम हो

  
सहायक कलेक्टर  
(SDO), जाड़मेर